GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS, RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

CEN No. 07/2024

Recruitment of various Posts of Ministerial and Isolated Categories

Notice regarding updation of Qualifications

(Extension of time for updation of Qualifications)

1. The details of subjects covered in the qualifications mentioned by the candidates in the online application are mandated against CEN No. 07/2024 published on 06.01.2025 for posts of Trained Graduate Teachers under categories 30-38, 40-43, 46, 47, 49, 51 and 52 for making decision regarding their eligibility objectively. **The candidates who have applied for the above posts and appeared in the CBT are given an opportunity to update and confirm the subjects covered against the Qualifications entered by them in the application.**
2. In case a candidate does not furnish details of subjects, his/her eligibility shall be decided based on the information furnished by them in the online application without any further clarifications.
3. Candidates can view and download the details of revised eligibility for these posts after providing the details of subjects covered in the qualifications.
4. Candidates may please note that this is one time opportunity for providing the details of subjects covered in the qualifications and no further request in this regard shall be entertained. RRB reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical/printing mistakes. RRB regrets inability to entertain any correspondence from ineligible candidates.
5. Candidates can update their qualifications by logging in with their user credentials at www.rrbapply.gov.in. ***The link for this purpose which was live from 23/04/2026 09:00 Hrs to 29/04/2026 19:00 Hrs as mentioned in the notice dated 22/04/2026 shall further remain open till 07/05/2026 19:00 Hrs.***
6. Candidates are advised to refer only to the official websites of RRBs for latest updates on recruitment process. Please do not get mislead by unauthenticated sources.
7. Helpdesk for Candidates:-

9592-001-188 & 0172-565-3333
rrb.help@csc.gov.in
Timing- from 10:00 AM to 05:00 PM

Date: 29/04/2026

Chairpersons
Railway Recruitment Boards

Important Note: Beware of the touts who may misguide candidates with the false promises of getting them selected for the job on illegal consideration. The recruitment process in the RRB Exam is fully computerized and the selection is based purely on the merit of the candidates.

सीईएन संख्या: 07/2024 के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की कोटियाँ 30-38, 40-43, 46, 47, 49, 51 और 52 के लिए योग्यता अद्यतन करने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

प्रश्न 1:

पद के लिए पात्रता के सभी मानदंडों को पूरे करने के बावजूद भी मुझे क्यों पात्र नहीं दिखाया जा रहा है?

उत्तर 1:

(क) उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि विषय अद्यतन करने/पात्रता दिखाने वाला वेबपेज खोलने के बाद वेबसाइट पर डेटा प्रोसेस होने का इंतज़ार करें क्योंकि स्क्रीन पर अद्यतन पात्रता दिखने में कुछ समय लगता है।

(ख) कृपया जांच लें कि क्या आपने दी गई पद कोटि के लिए अपनी वरीयता बताई है और आपके आवेदन किए गए आरआरबी में संबंधित पद कोटि के लिए रिक्ति है।

(ग) कृपया जांच लें कि क्या आपने पढ़ाने के सभी माध्यमों में सक्षमता की ज़रूरतें पूरी की हैं।

(घ) कृपया जांच लें कि क्या आपका लिंग आवेदन किए गए आरआरबी की लिंग विशेष पद कोटि के लिए पद के नाम में बताए गए लिंग के अनुसार है।

(ङ) कृपया जाँच कर लें कि क्या आपने आवेदन में दिए गए पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी विषयों और पढ़ाने के सभी माध्यमों में दक्षता/सक्षमता की ज़रूरतें दर्शाई हैं।

(च) कृपया जाँच कर लें कि क्या आपका समुदाय दिए गए पद के लिए आवेदन किए गए आरआरबी के सीईएन में रिक्ति तालिका में बताए गए समुदाय के अनुसार है। कृपया ध्यान दें कि सभी समुदाय के उम्मीदवार पदों की अनारक्षित रिक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन केवल संबंधित आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार ही आरक्षित समुदाय के लिए पदों की आरक्षित रिक्ति के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 2:

क्या मैं अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) योग्यता अद्यतन कर सकता हूँ?

उत्तर 2:

उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) योग्यता अद्यतन करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 3:

क्या मैं शैक्षणिक योग्यता की मौजूदा विवरण को सुधार सकता हूँ?

उत्तर 3:

उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता की मौजूदा विवरण जैसे प्रमाण पत्र संख्या, पास होने की तारीख इत्यादि का सुधार करने की अनुमति नहीं है।

<u>प्रश्न 4:</u>

मुझे सभी शैक्षणिक योग्यताओं में विषय अद्‌यतन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?

<u>उत्तर 4:</u>

यह देखा गया है कि उम्मीदवारों द्‌वारा बताई गई कुछ योग्यताएं उनके द्‌वारा आवेदन किए गए कुछ पदों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरी तरह से पूरा नहीं करती हैं और इसलिए वे ऐसे पदों के लिए पात्र नहीं हैं। अतिरिक्त विषयों को जोड़ने की सुविधा सिर्फ़ चुनी हुई शैक्षणिक योग्यताओं के लिए ही दी गई है ताकि संबंधित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए उम्मीदवार की पात्रता का सही आँकलन किया जा सके। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता का मौजूदा विवरण सुधार करने की अनुमति नहीं है।

<u>प्रश्न 5:</u>

क्या योग्यता अद्‌यतन करने से कोटि 30-38, 40-43, 46, 47, 49, 51 और 52 के अंतर्गत दूसरे पदों के लिए मेरी पात्रता पर प्रभाव पड़ेगा?

<u>उत्तर 5:</u>

नहीं, योग्यता अद्‌यतन करने से कोटि 30-38, 40-43, 46, 47, 49, 51 और 52 के अंतर्गत दूसरे पदों के लिए आपकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>प्रश्न 6:</u>

यदि मैं अपनी योग्यताओं को अद्‌यतन नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

<u>उत्तर 6:</u>

आपने जिन पदों के लिए आवेदन किया है, उनमें से कुछ के लिए स्वयं को योग्य बनाने का आपका अवसर खो सकता है। पहले भरी गई योग्यताओं के विवरण में दी गई अधूरी या अपर्याप्त जानकारी के कारण आप उन कुछ पदों के लिए अपात्र हो सकते हैं जिनके लिए आपने आवेदन किया है। आपकी पात्रता आपके द्‌वारा दी गई वर्तमान योग्यताओं के आधार पर बिना किसी और स्पष्टीकरण के तय की जाएगी।

<u>प्रश्न 7:</u>

क्या मैं वेब पोर्टल पर अद्‌यतित योग्यता को जमा करने के बाद अपनी योग्यता पुनः अद्‌यतन कर सकता हूँ?

<u>उत्तर 7:</u>

नहीं, जब कोई उम्मीदवार वेब पोर्टल पर अद्‌यतित योग्यता को जमा कर देता है, तो योग्यता अद्‌यतन करना डिसेबल हो जाता है। उसके बाद कोई और सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्‌यतित योग्यता अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरण को ध्यान से जांच लें।

<u>प्रश्न 8:</u>

क्या मैं नई शैक्षणिक योग्यता जोड़ सकता हूँ?

<u>उत्तर 8:</u>

नहीं। उम्मीदवार को नई योग्यता जोड़ने की अनुमति नहीं है। केवल पहले से दी गई योग्यता से जुड़े विषयों को और पढ़ाने के सभी माध्यमों में दक्षता/सक्षमता को ही जोड़ा जा सकता है।